न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 110/2018

घासीराम पुत्र जीता जाति मेघवंशी निवासी ग्राम अम्बेडकर नगर तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र जीताराम
2. गिरधारीलाल पुत्र जीता
   जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम अम्बेडकर नगर तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक..05.03.2021

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कि राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की संरहद में नई खाता संख्या 33 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 2.29 स्थित है। उक्त कृषि भूमि आवेदक व अनावेदक नम्बर 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है, जिसके संबंध में आवेदक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिये प्रार्थना पत्र मे प्रश्नगत कृषि भूमि के नाम से संबंधोति किया गया है।

प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 01 व 02 का बराबर–बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा है तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है और काबिज व आबाद है तथा आवेदक व अनावेदक संख्या 01 व 02 अपने हिससे अनुसार फैमिली सैटलमेंट के मुताबिक मौखिक विभाजन करके अलग–अलग कब्जा काश्त कर रखा है, लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड शामलाती दर्ज है, जिसका अभी तक किसी भी तरह से विधिवत विभाजन नही हुआ है। आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 01 व 02 आपस में सगे भाई है, जिसके आपस में आज तक किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है परन्तु अब कुछ दिन से अनावेदकगण नम्बर 01 व 02 के मन में बेईमनी पैदा हो गई है, इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि का शामलाती राजस्व रिकार्ड दर्ज रहने से निश्चित भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करके एवं शक्ल सूरत में परिवर्तन करके अच्छी किस्म की उपजाऊ भूमि पर पुख्ता कब्जा करने की कुचेष्टा मे लग रहे है। जिससे आवेदक के हक अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। इस कारण आवेदक प्रश्नगत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने बाबत वाद पेश कर रहा है।

अनावेदकगण नम्बर 01 व 02 ने दिनांक 15.12.2018 को आवेदक को धमकी दी है कि हम जल्दी ही प्रश्नगत कृषि भूमि के निश्चित भू भाग पर मिट्टी खुदाई करके एवं नींव खोदकर निर्माण कार्य

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

करके कब्जा करने और आवेदक को बेदखल करके प्रश्नगत कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त नही करने देगें। अनावेदक नम्बर 01 व 02 के आपस में मिलकर आवेदक को अपने हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है और प्रश्नगत कृषि भूमि के निश्चित भू–भाग पर निर्माण कार्य करके कब्जा करना चाहते है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि में मिट्टी खुदाई करके व पेड़ पौधे काटकर वेस्ट व डेमेज करने की फिराक में लगे हुये है और आवेदक को उसके हक अधिकार की पैतृक प्रश्नगत कृषि भूमि से महरूम व वंचित करने की कुचेष्टा में लगे हुये है, जिसको कानूनी रूप से कोई हक अधिकार नही है तब आवेदक ने अपने हक अधिकारो की सुरक्षा के लिये दिनांक 17.12.2018 को प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करके अनावेदकगण नम्बर 01 व 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक सम्पति है, जिसका विधिवत विभाजन नही होने से पक्षकारान के आपस में हिस्से व कब्जे काश्त को लेकर विवाद पैदा होने की संभावना रहती है और शामलाती खातेदारी दर्ज रहने से आवेदक अपने हिस्से की कृषि भूमि का अच्छी तरह से विकास नही कर पाता है और ना ही कोई वितीय सहायता प्राप्त कर पाता है। इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन किया जाना न्यायहित में उचित है। यदि आवेदकगण नम्बर 01 व 02 अपनी गलत मंशा में सफल हो जाते है तो आवेदक को कई प्रकार के मुकदमें दायर करने पड़ सकते है, जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी हालत में संभव नही होगी। प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदक की खातेदार व कब्जे काश्त की पैतृक सम्पति है, इसलिये आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है, आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अनुतोष चाहा है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम अम्बेडकर पटवार हल्का चिराना में स्थित प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 2.29 हैक्टर में आवेदक को 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करे तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाये बिना किसी निश्चित भू–भाग पर मिट्टी खुदाई व नींव खुदाई करके कोई निर्माण काये नही करे ओर आवेदक को बेदखल करके किसी निश्चित भू–भाग पर पेड़–पौधे काटकर वेस्ट व डेमेज नही करे तथा विधिवत विभाजन से पहले प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार की गलत व विधि विरूद्ध कार्यवाही नही करे तथा वाद–पत्र प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 लगायत 02 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई परन्तु एक माह की अवधि में व्यतीत होने के के पश्चात इनके ओर से कोई भी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील आवेदक सुनी गई। बहस के दौरान वकील आवेदक व अनावेदक द्वारा प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को ही दौहराया गया। अतः बहस तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम अम्बेडकर नगर तन चिराना संम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार भूमि खाता संख्या 33 के अन्तर्गत भूमि ख.न. 05 रकबा 0.93

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर, तथा खसरा नम्बर 64 रकबा 1.36 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.29 हेक्टर की खातेदारी घीसालाल, प्रभूदयाल, गिरधारी लाल पुत्रगण जीता जाति मेघवंशी साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र व बहस प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि आवेदक व अनावेदकगण की पैतृक भूमि रही है इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली मे सलग्न जमाबंदी संवत 2068 से 2071 से भी होती है।

उपरोक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 05 व 64 रकबा क्रमशः 0.93, 1.36 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.29 है0 की खातेदारी अनावेदक एवं अनावेकदगण के नाम दर्ज रिकार्ड है जो पैतृक भूमि। उक्त भूमि में आवेदकगण के हक अधिकार दावे में तैय होने हैं अतः उक्त खसरा नम्बरान को ताफैसला दावा तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित है।

राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर तन चिराना स्थित भूमि ख.न. 05 व 64 मे आवेदक एवं अनावेदकगण की शामलाती खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। तथा अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लायी गयी है। अतः इस स्थिति में आवेदक की प्रार्थना पत्र स्वीकार कन्फर्म किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। ग्राम अम्बेडकर नगर तन चिराना की वादग्रस्त आराजीयात भूमि ख.न. 05, 64 रकबा क्रमशः 0.93, 1.36 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.29 हैक्टर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2018 में भूमि ख.न. 05, 64 रकबा क्रमशः 0.93, 1.36 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.29 हैक्टर को रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु ता दावा निर्णय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयन्ती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested